

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण मसूरी।
(अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य के ध्वस्तीकरण हेतु आदेश)

(2)

पत्रांक 17/वाद संख्या आर-0406/2023

दिनांक 10 अप्रैल 2023

श्री सुमित गुप्ता/हितवद्ध व्यक्ति
सहस्त्रधारा चामासारी मसूरी मार्ग
अमूल्यम विला के निकट मसूरी।

विपक्षी द्वारा उपरोक्त पते/स्थल पर बिना स्वीकृत मानचित्र/अनुमति के जैसा कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत अनिवार्य है, अनाधिकृत निर्माण/अनाधिकृत विकास करने पर उपरोक्त अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत वाद संख्या आर-0406/2023 योजित किया गया।

उपरोक्त वाद में दिनांक 09-03-2023 को धारा 27 उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत विपक्षी को कारण बताओ नोटिस एवं कार्य रोकने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया जो कि दिनांक 10-03-2023 को आपके प्रतिनिधि श्री प्रवीन धीमान द्वारा रिसीव किया गया।

उक्त नोटिस के द्वारा विपक्षी को अवगत कराया गया कि आप द्वारा अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य किया जा रहा है, तथा अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये दिनांक 16-03-2023 नियत की गयी, तथा स्थल पर निर्माण कार्य बन्द करने हेतु भी आदेशित किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि उपरोक्त वाद में दिनांक 16-03-2023 की तिथि नियत की गयी। जिसमें आप अनुपस्थित रहें। किन्तु चालान शुदा निर्माण के सम्बन्ध में अभी तक कोई दस्तावेज/कोई ठोस जबाब दाखिल नहीं किया गया। अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता की पूर्व आख्या दिनांक 04-03-2023 के अनुसार बिना स्वीकृति के उपरोक्त स्थल पर विपक्षी द्वारा लगभग 220 मी0 गुणा 70 मी0 (प्लॉट), 09.60 मी0 रोड, 100 गुणा 50 (प्लॉट), 40 गुणा 19 मी0 (प्लॉट), 08.70 मी0 रोड व 40 गुणा 30 मी0, 19 गुणा 30 मी0, 70 गुणा 07.00 मी0 में क्रमशः प्लॉट विकसित व पुश्ता निर्माण का कार्य किया जा रहा है। अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता की वर्तमान आख्या दिनांक 29-03-2023 के अनुसार विपक्षी को धारा 27 (1), 28(1) के अन्तर्गत कार्य रोकने हेतु नोटिस व धारा 28 (ii) के अन्तर्गत निर्माण कार्य बलपूर्वक रुकवाये जाने हेतु थानाध्यक्ष मसूरी को पत्र निर्गत किया गया था। विपक्षी द्वारा स्थल पर चोरी छिपे निर्माण कार्य किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत निर्माण को ध्वस्त किया जाना ही अन्तिम विकल्प है। जिसका आप द्वारा प्राधिकरण स्तर से कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गयी है। विपक्षी द्वारा किया गया निर्माण पूर्णतः अनाधिकृत है एवं ध्वस्त होने योग्य है।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि आपके द्वारा उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम, 2009 की सुसंगत धाराओं का उल्लंघन किया गया है।

अतः उक्त परिस्थितियों में तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन उपरान्त आपके अवैध निर्माण के विरुद्ध ध्वस्तीकरण के आदेश पारित करने का विकल्प ही शेष रह जाता है। न्यायहित में स्थल पर सम्पूर्ण निर्माण को ध्वस्त किया जाना आवश्यक है। अतः प्रकरण में ध्वस्तीकरण आदेश पारित किये जाते हैं।

- आदेश:-

अतः श्री सुमित गुप्ता/हितवद्ध व्यक्ति, सहस्त्रधारा चामासारी मसूरी मार्ग अमूल्यम विला के निकट मसूरी द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृति के/अनुमति के जैसा कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अनुशीलन के आधार पर तथा क्षेत्रीय अभियन्ताओं की संस्तुति के आधार पर विपक्षी द्वारा स्थल उपरोक्त पर किये गये/किये जा रहे समस्त अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध ध्वस्त आदेश पारित किये जाते हैं। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह इस पत्र/आदेश प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर समस्त अनाधिकृत निर्माण को स्वयं ध्वस्त कर दे, अन्यथा प्राधिकरण द्वारा विपक्षी के चालानशुदा निर्माण को बलपूर्वक प्राधिकरण द्वारा ध्वस्त कर दिया जायेगा एवं इस पर होने वाला व्यय भू-राजस्व के रूप में विपक्षी से वसूल किया जायेगा।

संयुक्त सचिव/पीठासीन अधिकारी
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
मसूरी।

DOSO/M

Praveen Prinson
11/04/23